

FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी) मुकाम बेगूँ

पप्पू उर्फ प्रकाशचन्द्र पिता स्व. घीसुलाल जाति माली निवासी बेगूँ
तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.

बनाम

जगदीशचन्द्र पिता स्व. घीसुलाल जाति माली, निवासी बेगूँ
तहसील बेगूँ वगै० जिला चित्तौड़गढ़ राज.

अ०धा० 212 आर०टी.एक्ट.

प्रार्थना पत्र संख्या : 16/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
18.12.2017	<p>पत्रावली आज लोक अदालत में सुनवायी हेतु रखायी गयी। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में पेशी दिनांक 04/01/2018 नियत थी, तथापि वकील प्रार्थी द्वारा मूल दावा विद-झों किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण सुनवायी की जाकर निस्तारणार्थ लोक अदालत में रखाया गया है। वकील वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि दोनों पक्षों के बीच राजीनामा होने से लोक अदालत भावना से प्रकरण निस्तारित करते हुए कार्यवाही-ड्रॉप की जावे। साथ ही प्रार्थना पत्र अं.धा. 212 आर.टी. एक्ट पत्रावली तलब की जाकर कार्यवाही ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया गया है।</p> <p>हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर वकील वादी/प्रार्थी को सुना गया। चूँकि दोनों पक्षों में लोक अदालत भावना ने आपस में राजीनामा हो जाने से वादी/प्रार्थी प्रकरण विद-झो करवाना चाहते हैं, जो कि न्यायोचित है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र वादी/प्रार्थी का अंतर्गत अं.धा. 212 आर.टी. एक्ट में लोक अदालत भावना से आपस में राजीनामा होने से प्रार्थना पत्र पत्रावली में आगामी कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

(रागिनी डामोर)

सहायक कलक्टर,
(उपखंड अधिकारी) बेगूँ